न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

राजस्व वाद संख्या 20/2009

धापू पत्नि स्व0 श्री छोगाराम (फौत) कायम–मुकाम
1/ कानाराम पुत्र स्व0 श्री छोगाराम माता श्रीमति धापू जाति रावत
2/ शान्ति देवी पुत्री स्व0 श्री छोगाराम माता श्रीमति धापू जाति रावत
3/ गीता देवी पुत्री स्व0 श्री छोगाराम माता श्रीमति धापू जाति रावत
निवासी सभी ग्राम सराना तहसील एंव जिला अजमेर, राजस्थान

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

समक्ष

उपेन्द्र कुमार शर्मा आर.ए.एस

उपस्थित

1. श्री मृणाल शर्मा — अभिभाषक वादी
2. श्री हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 25.08.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया के द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सराणा तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजी ख0न0 1038 के नवीन ख0न0 30 रकबा 06–01–10 पर वादीया अपने पति के समय से काबिज काश्त चली आने से उसे उक्त आराजी एलॉटमेण्ट कर दिया गया लेकिन राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दर्ज नहीं किया गया और उपरोक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई जबकि खसरा परिवर्तनशील सवंत् 2029 के कॉलम नंबर 4 में कृषक रूप में वादीया को अंकित किया गया है व कॉलम नंबर 15 में एलॉट की गई आराजी दर्ज किया गया है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वादीया की कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर उसे विधिक प्रावधानों के अनुसार खातेदारी काश्तकारी हक–हकुक अधिकार प्राप्त हो चुके है लेकिन राजस्व अभिलेख जमाबंदी में खातेदार काश्तकार के रूप में इन्द्राज दर्ज नहीं किया गया हैं जबकि उपरोक्त खसरा परिवर्तनशील में कृषक के रूप में उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर वादीया का कब्जा काश्त संवत् 2028 के पूर्व से लगातार चला आ रहा है राजस्व अभिलेख जो कि प्रतिवादी के द्वारा तैयार किया गया हैं जिसकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां वाद पत्र के साथ संलग्न की गई है। विवादित आराजी पर वादीया संवत् 2028 के पूर्व से आज दिनांक तक लगातार काबिज काश्त चली आ रही है वादग्रस्त आराजी खसरा न0 1038 कुल रकबा 12–01–10 जिसके नवीन ख0न0 29 रकबा 06–00–00 व खसरा संख्या 30 रकबा 06–01–10 जो कि खसरा परिवर्तनशील संवत् 2028 में खसरा नंबर [illegible] बेवा किसना को कृषक के रूप में व खसरा नंबर 30 पर वादीया धापू बेवा छोगाराम कृषक

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2021.01.05 13:1
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रूप मे दर्शाया है जिसके हाल खसरा न0 मिलान क्षेत्रफल के अनुसर 1038 कुल रकबा 12–01–10 जिसके नये खसरा नं0 866, 867 व 873 बनाये गये है जिससे वादीया 06–01–10 पर निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही हैं राजस्व अभिलेख खसरा परिवर्तनशील सवंत् 2029 से 2033 में वादग्रस्त आराजी वादीया को एलॉट व कब्जेकाश्त की दर्शायी गई हैं । वादीया विधिक प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था और 10 वर्ष बाद गैरखातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था जिसके विपरित त्रुटिपूर्ण रूप से आराजीयात को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। वादीया विवादित आराजी पर करीब 30 वर्ष से निरंतर काबिज काश्त है जिससे वादीया प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी की घोषणा की अधिकारी है वादीया अशिक्षित वरिष्ठ वृद्ध नागरिक काश्तकार महिला होने से राजस्व अभिलेख में दर्ज त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की जानकारी दिनांक 07.01.2009 को होने पर वादीया का वाद कारण उत्पन्न हुआ है और वास्तव में वाद का कारण तो वादीया को प्रतिवादी के विरूद्व वादग्रस्त आराजी का एलॉटमेण्ट वादीया को करने के उपरांत उसके नाम राजस्व अभिलेख में गैरखातेदार दर्ज नही करने के रोज से लगातार व वादीया को जानकारी दिनांक 07.01.2009 को होने से हर रोज माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी के विरूद्व उत्पन्न हो रहा है। वादीया के पक्ष में वादग्रस्त आराजी ऍलाटमेन्ट करने के बाद उसके नाम से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दर्ज प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा नही किया गया और सिवायचक सरकारी दर्ज बनाये रखा जिसका दण्ड वादीया को दिया जाना न्यायोचित नहीं है तथा वादीया विधिक रूप सेवादग्रस्त आराजी पर एलॉट होने के रोज से आजतक करीबन 40 वर्षो से लागतार काबिजकाश्त होने से खातेदारी काश्तकारी हकहकुक अधिकारों की घोषणा की अधिकारनी है जिसके लिये वाद पत्र प्रस्तुत है। प्रतिवादी त्रुटिवादी इन्द्राज की आड में वादीया को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा है जिसका की उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है जिससे प्रतिवादी को पांबद किये जाने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति पाने की वादीया अधिकारनी है। प्रतिवादी के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी के तहत नोटिस दे दिया गया है लेकिन वादग्रस्त आराजी से बेदखल किये जाने के लिये धमकी देने से वाद पत्र मय धारा 80(2) सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र सहित प्रस्तुत है। अन्त मे ग्राम सराणा तहसील व जिला अजमेर मे स्थित कृषिभूमि जिसके पुराने खसरा नं0 1038 का रकबा 12–01–10 में से 06–01–10 जिसके हाल खाता नं0 866, 867, 873 बने है के रकबे में से 06–01–10 काबिज काश्त कार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी आदि में इन्द्राज दर्ज किये जाने की डिक्री बहकवादीया विरूद्व प्रतिवादी प्रदान किये जाने का निवेदन किया। वाद के समर्थन मे वादी के द्वारा खसरा परिर्वतनशील संवत् 2028, 2029, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036 2037 2038, 2052, 2054, मिलान क्षेत्रफल व धारा 91 भू0रा0अधिनियम 1956 के नोटिस की फोटो प्रति पेश की गई।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार के द्वारा दिनांक 18.04.2012 को अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है तथा वादिया का नाम खसरा परिर्वतनशील मे बतोर अतिक्रमी के रूप मे दर्ज है तथा वादीया का वादग्रस्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबन्ध एंव सरोकार नही है तथा वादग्रस्त आराजीयात प्रारम्भ से ही राजस्व अभिलेख मे सरकारी होकर सिवायचक के रूप मे दर्ज है जो कि विधिवत सही है। अन्त मे वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दावे एंव जवाब दावे के आधार पर निम्नांकित तनकीयात न्यायालय के द्वारा कायम की गई:–

1–आया वादी विवादित आराजीयात के इन्द्राज दुरूस्ती व हक खातेदारी प्राप्त करने के हकदार है ?

Signature Not Ver
Digitally signed by Upe
Sharma
Date: 2021.01.05 13:1
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

2–आया वादी विवादित आराजीयात विरूद्व प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा पाने के हकदार है ?

वादी

3–अनुतोष

तनकी संख्या :–1 उपरोक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीया पर था वादीया के द्वारा अपने वाद के साथ खसरा परिर्वतनशील संवत 2028, 2029, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 2038, 2052, 2054, की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की गई है जिसमे संवत 2052 मे खसरा संख्या 866 रकबा 03–00–00 पर तिल व संवत 2028,2029,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038 के कालम सख्या 5 मे भूमि पडत होने का अंकन अंकित है। संवत 2054 मे काना/छोगा माजली के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 866 के रकबा 01–10–00 भूमि पर तिल किये जाने का अंकित कालम संख्या 4 मे अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि वादीया उक्त आराजी पर अतिक्रमी के रूप मे दर्ज है वादीया के द्वारा उक्त वाद पत्र के माध्यम से वादग्रस्त आराजीयात बाबत स्वंय को अलाटमेन्ट होने का कथन अंकित करते हुए उक्त राजस्व वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा वादीया के द्वारा मूलतः अपने उक्त अलाटमेन्ट के आधार पर ही वादग्रस्त आराजीयात की आज्ञाप्ति हाजा न्यायालय के द्वारा चाही गई है परन्तु वादीया के द्वारा अपने उक्त राजस्व वाद पत्र के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अलाटमेन्ट लेटर(आवंटन पत्र) प्रस्तुत नही किया है जिससे यह स्पष्ट नही है कि वादीया को वादग्रस्त आराजीयात किस दिनांक को किस प्राधिकारी/अलाटमेन्ट कमेटी के द्वारा विधितः आवंटन की गई है। इस प्रकार से वादी के द्वारा अपने वाद पत्र को सिद्व किये जाने के लिए अलाटमेन्ट का कोई भी दस्तावेज वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नही किया है जो पी–डब्ल्यू–1 श्री मति धापू के बयान मे स्वीकार किया है तथा वादीया ने अपने बयानो मे यह भी स्पष्ट किया है कि आवंटन पत्र वादीया के द्वारा है हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जावेगा, परन्तु वादीया के द्वारा आज दिनांक तक हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी आवंटन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है इस प्रकार से वादीया अपने उक्त वाद को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर सिद्व करने मे पूर्णतया असफल रही है। अतः उक्त तनकी वादीया के विरूद्व तथा प्रतिवादी के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी संख्या :–2

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था किन्तु उक्त आराजी पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया का उक्त आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त नही रहा है तथा वादग्रस्त आराजीयात प्रारम्भ से अधिकार अभिलेख मे सरकारी सिवायचक रही है चूंकि विवादित भूमि मे वादीया का किसी प्रकार का हित निहित नही है तथा तनकी संख्या 1 वादीया के विरूद्व तय हो जाने से वादीया प्रतिवादी के विस्द्व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः उक्त तनकी वाादीया के विरूद्व तथा प्रतिवादी के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी संख्या :–3 अनुतोष– तनकी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी के पक्ष मे तथा वादीगण के विरूद्व तय होने से वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

वादीया अपना वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सिद्व करने मे असफल रहे है। अतः वादीया का वाद स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 का मेरे द्वारा लिखायॉ जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से प्रदत्त किया गया।

सहायक कलेक्टर (प्र)

Signature Not Ver
Digitally signed by Upe
Sharma
Date: 2021.01.05 13:1
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई)

धापू पत्नि स्व0 श्री छोगाराम (फौत) कायम–मुकाम
1/ कानाराम पुत्र स्व0 श्री छोगाराम माता श्रीमति धापू जाति रावत
2/ शान्ति देवी पुत्री स्व0 श्री छोगाराम माता श्रीमति धापू जाति रावत
3/ गीता देवी पुत्री स्व0 श्री छोगाराम माता श्रीमति धापू जाति रावत
निवासी सभी ग्राम सराना तहसील एंव जिला अजमेर, राजस्थान

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 का0 अधि0 1955 सपठित
मुकदमा नम्बर :–20/2009
निर्णय दिनांक :– 25.08.2020

वादी अभिभाषक **श्री मृणाल शर्मा** एंव प्रतिवादी संख्या 1 के अभिभाषक श्री **हेमराज राठौड** राजकीय अभिभाषक असालतन स्वंय उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 25.08.2020 को **पीठासीन अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा आर.ए.एस.** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि :– वादीया अपना वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सिद्व करने मे असफल रहे है। **अतः वादीया का वाद स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।** डिक्री इसी कदर जारी हो।

सहायक कलक्टर (मु0)
सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1–वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2–शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3–प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4–रूपये पर प्लीडर की फीस 5–साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6–कमिश्नर की फीस 7–आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह –व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

सहायक कलक्टर (मु0)
सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Signature Not Ver
Digitally signed by Upe
Sharma
Date: 2021.01.05 13:1
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner